27/C

शहरी विकास विभाग
9वॉं तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट, नई दिल्ली–110002

तारांकित प्रश्न संख्या :– **37**

दिनांक :– **09/08/2017**

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– **सुश्री अलका लांबा**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न	उत्तर
(क) चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में सरकारी व निजी 'कटरों' की संख्या,	**<u>उत्तरः–दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड</u>** चॉदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के कटरा संपत्तियों की संख्या 334 है। **<u>उत्तरः–उत्तरी दिल्ली नगर निगम</u>** चॉदनी चौक विधानसभा के अन्तर्गत निजी कटरों की संख्या लगभग 90 है।
(ख) क्या सरकार सरकारी कटरों की भांति निजी कटरों की भी मरम्मत करती है,	**<u>उत्तरः–दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड</u>** निजी कटरों में सरकारी कटरों की भॉति मरम्मत नहीं की जाती है। **<u>उत्तरः–उत्तरी दिल्ली नगर निगम</u>** चॉदनी चौक विधानसभा के अन्तर्गत निजी कटरों में जैसे कि कोमन पैसेज, ड्रेनेज व शौचालय की मरम्मत का कार्य उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अभियांत्रिक विभाग द्वारा किया जाता है।
(ग) निजी कटरों की मरम्मत की क्या प्रक्रिया है,	**<u>उत्तरः–दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड</u>** विधायक के द्वारा की गई अनुशंसा निजी कटरों में केवल सार्वजनिक स्थल एवं शौचालयों की मरम्मत की जाती है। **<u>उत्तरः–उत्तरी दिल्ली नगर निगम</u>** निजी कटरों की मरम्मत का कार्य विधायक एवं निगम पार्षद की अनुशंसा व फन्ड उपलब्ध कराए जाने पर ही किया जाता है।

Principal Secretary
Urban Development Department
Govt. of NCT of Delhi

(घ) क्या डीयूएसआईबी स्टाफ की कमी, विशेषकर कनिष्ठ अभियंता स्तर के, का सामना कर रही है, और,	**उत्तरः–दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड** विभाग ने स्टाफ के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु डीएसएसएसबी बोर्ड को दिनांक 12–02–2016 एवं 24–01–2017 के पत्रों द्वारा 88 पदों पर भर्ती हेतु अनुरोध किया है। परन्तु बोर्ड द्वारा अभी नियुक्ति नहीं की गई है। इस बीच में विभाग का कार्य प्रभावित न हो इसके लिए विभाग ने 50 सिविल इंजिनियरिंग इन्टर्नस एवं 20 विद्युत इंजिनियरिंग इन्टर्नस को बोर्ड की सहमति से अनुबन्धित किया हुआ है । **उत्तरः–उत्तरी दिल्ली नगर निगम** यह प्रश्न दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से सम्बन्धित है।
(ङ) डीयूएसआईबी में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही ह?	**उत्तरः–दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड** उपरोक्त **उत्तरः–उत्तरी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्तानुसार

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 37 दिनांक 09/ 08/2017 की पूरक सामग्री

1. पुरानी दिल्ली (Walled City) क्षेत्र में कुछ सम्पत्तियां स्थित है जिनको कटरा कहा जाता है। इन कटरा सम्पत्तियों में बॅटवारे के समय से लोग परिवार सहित रह रहें है। इन सम्पत्त्यिों का नियंत्रण पूर्व में पुनर्वास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन था इनमें कुछ सम्पत्त्यिों का अधिग्रहण दिल्ली अजमेरी गेट स्कीम के अर्न्तगत किया गया है। इस क्षेत्र का पुर्नविकास समय समय पर किया गया हैं। इन सभी सम्पत्तियों में 3369 कटरा है जिनमे सन 1960 से सन 1972 के दौरान हस्तांरित/अधिग्रहित सम्पत्त्यिां भी शामिल है।

2. 835 सम्पत्तियों में रहने वाले परिवारों का पुनर्वास करके इन सम्पत्तियों का विध्वंस किया जा चुका है। 112 सम्पत्त्यिां पुनर्वास मंत्रालय, भारत सरकार को सौंपी जा चुकी है। आज दिनांक 08/08/2017 तक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के नियंत्रण में 2422 सम्पत्तियां बची हैं जो कि लाइसेंस फीस के आधार पर काबिज परिवारों के पास है। यह कहना महत्वपूर्ण है कि इनमें से कुछ सम्पत्त्यिों का हस्तांतरण (changed hands) किया गया है, जिनमें वाणिज्य गतिविधियाँ गोदाम आदि चल रहे हैं। विभाग की स्वीकृत नीति के अन्तर्गत अवैध काबिजों से हरजाना राशि ली जा रही है।